फोन/Phone: 91-22-6656 4266
ई-मेल/Email: manager.hr@mumbaiport.gov.in
वेबसाईट/Website:www.mumbaiport.gov.in

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Mumbai Port Authority

सामान्य प्रशासन विभाग
पोर्ट भवन, दूसरा माला
शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट,
मुंबई - 400 001.

General Administration Department,
Port House, 2nd floor,
S.V. Marg, Ballard Estate,
MUMBAI - 400 001.

No. GAD/P/RECT-Sr.Dy.CAO/4275 3rd November 2026

Recruitment Notice

The Chairpersons
Major Port Authorities

Sir/Madam,

Sub: Filling up the post of Sr. Deputy Chief Accounts Officer in the pay scale of Rs.80000-220000 by absorption through Composite method in Mumbai Port Authority.

1. The post of Sr. Deputy Chief Accounts Officer in Mumbai Port Authority will be vacant w.e.f. **1.1.2027**. The post is to be filled up by **absorption through composite method** from officers of Major Ports, fulfilling the eligibility criteria as mentioned at **Annexure** I.

2. The selection is by merit for which overall grading in the APARs should not be below "Very Good".

3. **Applications are invited from eligible and willing officers** of all Major Port Authorities possessing the prescribed qualification and experience as mentioned at **Annexure I.** The application shall be submitted through **'Online Application Portal (OAP)'** of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (website http://onlinevacancy.shipmin.nic.in) from **4.11.2026 to 3.12.2026.** No application submitted other than OAP will be accepted.

4. The candidate has to submit the hard-copy of application form uploaded in OAP alongwith requisite documents to his administrative Port for onward forwardal to MbPA.

5. The administrative Ports are required to forward the applications of the candidates superscribing **"Application for the post of Sr. Deputy Chief Accounts Officer in Mumbai Port Authority"** on or before **18.12.2026,** alongwith the following documents:

(i) *certified copies of APARs for the last 5 years (**2020-21 to 2024-25**), duly attested by an officer not below the rank of Dy. HOD on each of the pages;*

(ii) *a statement showing year-wise availability of APARs and grading duly signed by the HOD/Secretary. If APAR for a particular year during the last 5 years is not available, "No Report Certificate" may be furnished,* ***along with APARs of the preceding years;***

(iii) *Attested photocopies of all certificates and proof of educational qualification, present and past work experience in the respective post and pay scale.*

(iv) *No objection certificate from the respective Port.*

(v) *Undertaking of the applicant that he will not withdraw his candidature, if selected by Services Selection Committee;*

(vi) *Administrative clearance of the concerned port* ***(Annexure II)***

(vii) *Vigilance report is to be furnished in the prescribed format* ***(Annexure III).***

(viii) *Two passport size photographs.*

(ix) *If any major or minor penalty has been imposed on the applicant during the last 10 years, the disciplinary case leading to such penalty along with necessary documents may be sent alongwith the application.*

6. As per the Ministry's circular No.A-29018/4/2081/PE-I dated 11.8.2021, in case of receipt of advance copy of application from any candidate, his candidature will not be considered **if his application is not received through proper channel from the Port within 15 days** of the last date of receipt of applications. Therefore, Major Ports are requested to forward the applications with complete set of enclosures on or before **18.12.2026**. **Applications received after 18.12.2026 will not be considered.**

7. While forwarding the application, the Major Ports are to enclose all relevant documents at a time. No piecemeal/part forwarding will be considered.

8. In terms of Ministry of Ports, Shipping and Waterways' circular No.A-29018/4/2081/PE-I dated 11.8.2021, the crucial date for eligibility criteria will be **1.1.2027.**

9. As per the Ministry's guidelines dated 11.8.2021 regarding filling up the Dy. HoD level posts in Major Port Authorities, Port official who withdraws his candidature for the post after his selection by the Services Selection Committee, will be liable for debarment from future selection to Dy. HoD level posts in all Major Port Authorities for a period of two years.

10. Incomplete applications or applications received after due date will not be considered.

Yours faithfully,



(C. Premakumari)
MANAGER (HR)

Encl: As above

COPY TO:

1) **The Secretary to the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways,** New Delhi for information. Soft copy of the circular is already forwarded on email address: pravin.s@nic.in and web-ship@gov.in.

2) **Financial Adviser & Chief Accounts Officer** for information and circulation amongst eligible officers of the Department.

3) **Jt. Director (Planning & Research)** for uploading on MbPA website (by email)

Annexure I

Sl. No.	Name of the Post	No of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/ absorption/ deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/ absorption/ deputation)	In case of promotion/ absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	**Senior Deputy Chief Accounts Officer**	2	Class-I	16000-400-20800	Selection	42	Essential :- (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India (ii) Twelve years experience in executive cadre in the field of Finance, Accounting in an industrial/ commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	**By absorption** through **composite method** failing which **by deputation** from other Govt. organisations and failing both **by direct recruitment.**	**For absorption** through composite method, Officers holding analogous posts or Dy.Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Deptt. in the scale of pay of Rs.13000-18250 with 3 years regular service in the grade Rs.13000-18250 in a Major Port Trust or Dy.Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Deptt. with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs.10750-16750 and Rs.13000-18250 in the respective discipline of Finance Deptt. in a Major Port Trust will be eligible. **For deputation,** Officers holding analogous posts or holding posts of Dy. Chief Accounts Officer and equivalent posts in respective discipline of Finance Deptt. in the scale of pay of Rs.13000-18250 in Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible.The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good"	

ANNEXURE II

Certificate to be given by Head of Department of

Shri/Smt. _____

Designation_____

1. It is certified that the particulars furnished by the officer are correct.

2. It is certified that no disciplinary/vigilance case is pending or contemplated against the applicant and he/she is clear from Vigilance and Administrative angle.

3. His/Her integrity is certified.

4. It is certified that no major/minor penalties have been imposed on the applicant during the last 10 years. If any, kindly indicate details thereof.

5. Attested copies of ACRs for the last five years (1.4.2020 to 31.3.2025) are enclosed.

6. It is certified that the incumbent meets the requisite eligibility criteria w.r.t. educational qualification and experience as specified in the Annexure I of the circular for absorption through composite method.

SIGNATURE OF THE
HEAD OF DEPARTMENT WITH SEAL

Annexure III
Format III

MUMBAI PORT AUTHORITY

Particulars of the officer for whom Vigilance Comments/Status has been sought

1	Name of Officer (in full)	:	
2	Father's name	:	
3	Date of Birth	:	
4	Date of Retirement	:	
5	Date of entry into service	:	
6	Service to which the officer belongs wherever applicable	:	
7	Revised Payscale	:	
8	Whether Annual Property Return (APR) has been submitted in time	:	Yes / No
9	Date of submission of APR	:	

10 Positions held **including whether the officer has functioned as a CVO in part time or additional charge capacity** (During the ten preceding years)

Sl. No.	Organization (Name in full)	Designation and Place of posting	Administrative/ Nodal Ministry/ Deptt.	From	To

11	Whether any punishment was awarded to the officer during the last 10 years and if so, the date of imposition and details of the penalty.(*)	:	
12	Is any disciplinary / criminal proceedings or Chargesheet pending against the officer as on date (If so, details to be furnished – including reference number if any of the commission)	:	
13	Is any action contemplated against the officer as on date (If so details to be furnished) (*)	:	
14	Whether any complaint **with vigilance angle** pending against the officer as on date (If yes, details to be furnished)	:	

Date: (Signature of Head of Department)

15	Whether the officer has been placed on the "Agreed List" or "List of Officers of Doubtful Integrity".(If yes details to be given)	:	
16	Whether any allegation of misconduct involving vigilance angle was examined against the officer during the last 10 years and if so, with what result (*)	:	

The applied post being Selection post at the level of Head of Department, the officer is Clear/not clear from vigilance angle as per the guidelines of DoPT/CVC issued from time to time.

Date : **CHIEF VIGILANCE OFFICER**

(*) If vigilance clearance had been obtained from the Ministry/CVC in the past, the information may be provided for the period thereafter.

फोन/Phone: 91-22-6656 4266
ई-मेल/Email: manager.hr@mumbaiport.gov.in
वेबसाईट/Website:www.mumbaiport.gov.in

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Mumbai Port Authority

सामान्य प्रशासन विभाग
पोर्ट भवन, दूसरा माला
शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट,
मुंबई - 400 001.

General Administration
Department,
Port House, 2nd floor,
S.V. Marg, Ballard Estate,
MUMBAI - 400 001.

सं.सा.प्र.वि/पी/भर्ती-व.उप.मुलेअ/ 4275 3 नवंबर 2026

भर्ती सूचना

अध्यक्ष,
सभी महापत्तन प्राधिकरण

महोदय/ महोदया,

विषय: मुंबई पत्तन प्राधिकरण में संयुक्त पदधति से विलयन द्वारा रु.80000-220000 के वेतनमान में वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी के पद को भरना.

1. मुंबई पत्तन प्राधिकरण में **वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी** का पद दि. **1.1.2027** से रिक्त होगा. यह पद **अनुलग्नक- 1** में यथा उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करनेवाले, महापत्तनों के अधिकारियों से **संयुक्त पदधति के जरिए विलयन** द्वारा भरा जाना है.

2. चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में समग्र ग्रेडिंग (श्रेणीकरण) "व्हेरी गुड" से कम नहीं होनी चाहिए.

3. **अनुलग्नक- 1** में यथा उल्लिखित निर्धारित अर्हतायें तथा अनुभव धारण करने वाले सभी महापत्तन प्राधिकरणों के पात्र तथा इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. आवेदन **4.11.2026 से 3.12.2026 तक** पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वेबसाईट (http://onlinevacancy.shipmin.nic.in) के "**ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)**" के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है. ओएपी के अलावा प्रस्तुत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

4. उम्मीदवार को ओएपी में अपलोड किए गए आवेदन प्रपत्र की हार्ड कॉपी अपने प्रशासनिक पत्तन को प्रस्तुत करनी होगी ताकि वे उसे मुंबई पत्तन प्राधिकरण को आगे अग्रेषित कर सकें.

5. प्रशासनिक पत्तनों को उम्मीदवारों के आवेदन निम्नलिखित कागजातों सहित उनके उपर "**मुंबई पत्तन प्राधिकरण में वरिष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी पद के लिए आवेदन**" लिखने के बाद **18.12.2026** को अथवा उसके पूर्व अग्रेषित करने होंगे:

(i) *पिछले 5 वर्षों की (2020-21 से 2024-25) वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ, उप विभाग प्रमुख स्तर के नीचे न हो ऐसे अधिकारी द्वारा हर एक पन्ने पर विधिवत प्रमाणित करके;*

(ii) *वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की वर्षवार उपलब्धता तथा श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) दर्शानेवाला विवरण विभाग प्रमुख अथवा सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो. पिछले पाँच वर्षों में से यदि किसी विशिष्ट वर्ष का वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध न हो, तो उसके बारे में "रिपोर्ट नहीं है प्रमाणपत्र"* ***पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत करे;***

(iii) *शैक्षिक अर्हता के सभी प्रमाणपत्रों तथा प्रमाणों तथा संबंधित पद तथा वेतनमान में वर्तमान तथा पिछले कार्य अनुभव की सत्यापित फोटो प्रतियाँ.*

(iv) *संबंधित पत्तन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र.*

(v) *आवेदक से लिया गया वचननामा कि यदि सेवा चयन समिति द्वारा उसका चयन किया गया तो वह उसकी उम्मीदवारी वापस नहीं लेगा;*

(vi) *संबंधित पत्तन से प्रशासनिक अनापत्ती प्रमाणपत्र (**अनुलग्नक II**).*

(vii) *निर्धारित फॉर्मेट (**अनुलग्नक III**) में सतर्कता रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरुरी है.*

(viii) *दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ.*

(ix) *यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई छोटा या बडा दण्ड लगाया गया हो तो ऐसे दण्ड की ओर ले जाने वाले अनुशासनिक मामले के साथ आवश्यक कागजातों को आवेदन सहित भेजा जाए.*

6. मंत्रालय के परिपत्र संख्या.A-29018/4/2081/PE-I दिनांक 11.8.2021 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी उम्मीदवार से आवेदन की अग्रिम प्रति की प्राप्ति के मामले में, **यदि उसका आवेदन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से 15 दिनों के** भीतर उचित माध्यम के जरिए पत्तन से प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी उम्मीदवारी का विचार नहीं किया जाएगा. अत: महापत्तनों से अनुरोध है कि वे आवेदनोंको संलग्नकों के संपूर्ण से सेट सहित **18.12.2026** को या उसके पहले अग्रेषित करे. **18.12.2026 के बाद प्राप्त हुए आवेदनों का विचार नही किया जाएगा.**

7. आवेदन को अग्रेषित करते समय, महापत्तनों को एक ही समय पर सभी संगत दस्तावेजों को संलग्न करना जरुरी है. आंशिक/ टुकडों में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

8. पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के परिपत्र संख्या.A-29018/4/2081/PE-I अनुसार **1.1.2027** पात्रता मानदंडो की निर्णायक तिथि होगी.

9. महापत्तन प्राधिकरणों में उप विभाग प्रमुख स्तर के पदों को भरने के संबंध में मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार जो पत्तन अधिकारी सेवा चयन समिति द्वारा उनका चयन होने के बाद अपनी उम्मीदवारी को वापस लेंगे, उनका दो वर्षों के अवधि के लिए सभी महापत्तन प्राधिकरणों के उप विभाग प्रमुख के स्तर के पदों पर भविष्य में चयन के लिए रोक लगाने के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे.

10. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुए आवेदनों तथा अपूर्ण आवेदनों का विचार नहीं किया जायेगा.

भवदीय,

23/11/26.

(सी. प्रेमाकुमारी)
प्रबंधक (मानव संसाधन)

संलग्न: यथोक्त.

प्रतिलिपि:

1) **सचिव, भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय,** नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित. परिपत्र की सॉफ्ट कॉपी पहले ही ईमेल पता: pravin.s@nic.in and web-ship@gov.in. पर अग्रेषित की गई है.

2) **वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी** को सूचना तथा विभाग के पात्र अधिकारियों को परिचालित करने हेतु प्रेषित.

3) **संयुक्त निदेशक (योजना एवं अनुसंधान)** को वेबसाईट पर डालने के लिए प्रेषित (ई-मेल से)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	अतिरिक्त उप मुख्य संरक्षा अधिकारी	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	42	अनिवार्य : [illegible]	[illegible]	[illegible]	मंडल चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से चिकित्सा परीक्षण द्वारा [illegible] वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा सीधी भर्ती द्वारा	[illegible]	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											[illegible]	

अनुलग्नक-II

विभाग प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती ----------

पद ----------

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और वे/वह सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष है.

3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है.

4. यह प्रमाणित है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है. यदि कोई हो तो कृपया उसका विवरण दें.

5. पिछले पांच वर्षों (1.4.2020 से 31.3.2025) के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं.

6. यह प्रमाणित है कि पदग्राही समग्र योग्यता के माध्यम से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती के परिपत्रक के अनुलग्नक-I में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि अपेक्षित पात्रता मानदण्डो को पूरा करता है.

विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर मोहर (सील) के साथ

अनुलग्नक III
फॉर्मेट-III

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
MUMBAI PORT AUTHORITY

अधिकारी का विवरण, जिनके सतर्कता टिप्पणियाँ/स्थिति मांगी गई है.

1.	अधिकारी का नाम (संपूर्ण)	:	
2.	पिता का नाम	:	
3.	जन्म तिथि	:	
4.	सेवा निवृत्ति की तिथि	:	
5.	सेवा प्रवेश की तिथि	:	
6.	अधिकारी के सेवा से संबंधित वर्ग/वर्ष, संवर्ग आदि जो भी लागू है	:	
7.	संशोधित वेतनमान	:	
8.	क्या वार्षिक संपत्ति विवरणी (Annual Property Returns (APR) वक्त पर प्रस्तुत की है	:	हाँ/नहीं
9.	वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि	:	

10. धारण किए गए पद में अधिकारी ने अंशकालिक या अतिरिक्त प्रभार में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य किया है यह शामिल है (पिछले दस वर्षों के दौरान) :

अ.क्र.	संगठन (संपूर्ण नाम)	पदनाम एवं नियुक्ति का स्थान	संबंधित प्रशासनिक/प्रधान मंत्रालय/विभाग	द्वारा	तक

11.	क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई थी, और यदि हाँ, तो आरोप लगाने की तिथि और दण्ड का विवरण(*).	:	
12.	क्या आज की तिथि को अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही या चार्जशीट लंबित है (यदि हाँ, तो आयोग द्वारा यदि कोई संदर्भ संख्या तो तिथि के अनुसार दी गई हो उसके साथ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
13.	क्या अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की गई है (यदि हा, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
14.	क्या सतर्कता की दृष्टि से अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई शिकायत लंबित है (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.	:	

तिथि :

(विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर)

15.	यदि अधिकारी को "सहमत सूची" अथवा "संदिग्ध इमानदारी के अधिकारियों की सूची" पर रखा गया (यदि हां, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए)	:	
16.	यदि सतर्कता की दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में अधिकारी के खिलाफ दुराचार का आरोप की जाँच की गयी थी, यदि हां तो उसका परिणाम क्या है.(*)	:	

आवेदित पद विभाग प्रमुख के स्तर का चयन पद होने के कारण, उक्त अधिकारी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/ केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशो के अनुसार, सतर्कता दृष्टि से निर्बाध है/ निर्बाध नहीं है.

तिथि :

(मुख्य सतर्कता अधिकारी)

(*) यदि अतीत में मंत्रालय/सीवीसी से सतर्कता मंजूरी प्राप्त की गई थी तो उसके बाद की अवधि के लिए जानकारी प्रदान की जा सकती है.